पुस्तकालय

2592
3/4/07

असंशोधित

26 MAR 2007

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०....96/2.... तिथि 3/4....

बि०स० मु० (एम० ए०) 220—मोनो—1,000—8-6-2004

टर्न-१३/कृष्ण/२६.०३.०७

बी.पी.एल.सूची में अशुद्धियों को दूर करने एवं राशन-किरासन कूपन वितरण व्यवस्था के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री,बिहार का वक्तव्य ।

.....

श्री नीतीश कुमार,मुख्य मंत्री : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मैंने बी०पी०एल० सूची के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला था और कहा था कि त्रुटियों का निराकरण किया जायेगा । सरकार कृत-संकल्प है कि सही बी०पी०एल० सूची बने । इस संबंध में मैंने स्वयं विभिन्न प्रकार की प्राप्त शिकायतों के बारे में जानकारी ली एवं कई बार क्षेत्रीय एवं मुख्यालय के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की । उस आधार पर त्रुटि रहित बी०पी०एल० सूची बनाने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसके संबंध में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं ।

२. बी०पी०एल० सूची के सुधार के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में ही पत्रांक १४२५७ दिनांक ३०.१२.०६ में विस्तृत निर्देश दिए गये थे कि पारिवारिक सूची की पाण्डुलिपियों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सुरक्षित रख कर उप समाहर्त्ता की देख रेख में कम्प्यूटरीकृत सूची में सुधार कराया जाये । यह भी निर्देश था कि वैसे परिवार जिन्हें टंकण भूल के कारण ० से १३ अंक से अधिक अंक टंकित हो गये हैं, उनकी सूची बनाकर जिला पदाधिकारी संबंधित कागजातों की छानबीन कर संतुष्ट होने पर उन परिवारों का नाम बी०पी०एल० सूची में जोड़ने का आदेश दे सकते हैं । साथ ही पत्रांक १२५८१ दिनांक १३.११.०६ द्वारा बी०पी०एल० सूची के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश थे ताकि गरीब वर्गों के बीच सूची में उनके परिवार की वास्तविक परिस्थिति के बारे में जानकारी हो ।

३. इस व्यवस्था को और कारगर बनाने के लिए कुछ और कदम उठाये जा रहे हैं :-

i. वर्त्तमान पंचायतवार ० से ५२ अंक के पारिवारिक सूची को गांववार सजाकर इस ग्रामवार पारिवारिक सूची की कम से कम ५० प्रतियां मुद्रित कराकर वितरित की जायेगी । सूची हिन्दी में होगी एवं उसमें प्रत्येक परिवार का मदवार अंक एवं कुल प्राप्तांक दर्शाया जायेगा तथा मदवार अंक का अर्थ भी स्पष्ट किया जायेगा । इन प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे यह उल्लेख रहेगा कि इस औपबंधिक सूची का सुधार किया जा रहा है एवं मुद्रण की तिथि भी अंकित होगी । इसी प्रकार पुनरीक्षित सूची की प्रकाशित प्रतियों में भी तिथि अंकित रहेगी ताकि यह स्पष्ट हो कि बाद की सूची ही लागू होगी ।

ii. बी०पी०एल०एवं गैर-बी०पी०एल० सूचियों की प्रतियां संबंधित स०वि०स०, स०वि०प०, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला पर्षद् एवं पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं इन पदों के लिए प्रथम हारने वाले उम्मीदवार, अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़े वर्ग के टोलों में उन वर्गों के शिक्षित सदस्यों, प्रखंड स्तर के सभी राजनीतिक दल के अध्यक्ष तथा सचिव, पंचायत सचिव, हलका कर्मचारी, जनसेवक, थाना प्रभारी, सरकारी चिकित्सालय के प्रभारी, एवएन०एम०, सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक इत्यादि को शीघ्रातिशीघ्र आगामी १५-२०दिनों में निशुल्क दी जायेगी ताकि सूची की व्यापक जानकारी हो सके । एक प्रति प्रखंड में भी जनता के अवलोकनार्थ रखी जायेगी ।

iii. सूची के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए प्रखंड के मुख्यालय में व्यवस्था रहेगी ।प्राप्त शिकायतों को पंजी में दर्ज कर क्रमांक एवं तिथि सहित रसीद दी जायेगी ।

iv. शिकायतें अप्रैल के अंत तक प्राप्त किये जायेंगे । उसके बाद उनकी स्थानीय जांच कराई जायेगी ।

v. इन शिकायतों को किसी भी कार्य दिवस को सुबह ९.३० बजे से शाम को ६.००बजे तक प्रखंड कार्यालय में दर्ज की जा सकेगी । प्रत्येक प्रखंड में रोजाना इसके लिए विडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी ताकि किसी भी शिकायतकर्त्ता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

४. पारिवारिक सर्वेक्षण सूची की पाण्डुलिपि के कम्प्यूटरीकरण में विभिन्न स्तरों पर खामियां पाई गई हैं । उदाहरण के लिए अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण, पंचायत एवं ग्राम कोड की प्रविष्टि, पुरानी सूची में छूटे परिवारों की सूची को जोड़ने इत्यादि में कम्प्यूटर कंपनी द्वारा कम्प्यूटरीकरण के दौरान गलतियां हुई हैं । अतः पाण्डुलिपि के अनुसार कम्प्यूटरीकृत सूची के सुधार के लिये सर्वप्रथम ग्रामवार एवं पंचायतवार पाण्डुलिपि एवं संबंधित कम्प्यूटरीकृत सूची का मिलान किया जायेगा । इसके बाद कम्प्यूटर में सॉफ्ट कॉपी का सुधार कर पुनः ग्रामवार एवं पंचायतवार मुद्रण की तिथि अंकित कर सूची का प्रिंट आउट लेकर पुनरीक्षित सूची की प्रतियां ग्राम पंचायत में भेजी जायेगी ताकि प्राप्त शिकायतों की जांच की जा सके ।

५. इसके लिए जिला मुख्यालय में सुरक्षित स्थान में पर्याप्त संख्या में सहायक, ऑपरेटर सहित कम्प्यूटर एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक १० सहायक पर एक उप समाहर्त्ता की व्यवस्था की जायेगी । इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर अप्रैल माह में किया जायेगा । इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मी एवं कम्प्यूटरों की व्यवस्था रहेगी ।

६. कम्प्यूटर सूची के सुधार के बाद प्रखंडों में प्राप्त शिकायतों की जांच की जायेगी । इसके लिए प्रत्येक वार्ड में जांच दल गठित किया जायेगा जिसमें संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इन पदों के हारे हुये प्रथम उम्मीदवार, स्थानीय पंचायत सचिव, हलका कर्मचारी या जनसेवक में से एक, स्थानीय सरकारी विद्यालय के शिक्षक, ए०एन०एम० एवं पल्स पोलियो कार्यकर्त्ता रहेंगे । इस प्रकार स्थानीय जानकारी रखने वाले ६ जनप्रतिनिधि एवं ४ सरकारी कर्मी को लेकर १० सदस्यीय जांच दल प्रत्येक वार्ड में जाकर प्राप्त शिकायतों की छानबीन कर सूची के सुधार के लिए अपनी अनुशंसा करेगा ।

७. इन अनुशंसाओं पर प्रत्येक गांव में अलग-अलग ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । इसके लिए एक माह का समय देकर मई में पूर्ण किया जायेगा ।

८. अनुमोदित पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के अनुसार कम्प्यूटरीकृत सूची के सुधार के लिए जिला मुख्यालय में भेजा जायेगा । कम्प्यूटरीकृत सूची का सुधार जून माह में कर लेने का लक्ष्य रखा गया है एवं उस आधार पर अंतिम बी०पी०एल० सूची जुलाई २००७ तक प्रकाशित करने की संभावना है ।

९. उपर्युक्त निर्देशों के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी निर्गत किया जायेगा ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो एवं सभी का सहयोग इसमें प्राप्त हो सके ।

१०. सरकार सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित कर रही है कि बी०पी०एल० सूची के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ताकि निर्धनतम वर्ग को उनके लिए देय लाभ शीघ्रताशीघ्र प्राप्त हो सके । त्रुटिरहित बी०पी०एल० सूची सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।

क्रमशः

श्री नीतीश कुमार(मुख्यमंत्री)(क्रमश:)कारगर पर्यवेक्षण हेतु जिलों में आई0ए0एस0 पदाधिकारी को प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है ताकि त्रुटिरहित बी0पी0एल0सूची निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत बन सके।

बिहार देश का पहला राज्य है जिसने किरासन कूपन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवारों को कूपन के आधार पर प्रतिमाह पांच लीटर किरासन तेल देने का निर्णय लिया गया था ।ए0पी0एल0 परिवारों को २.५ ली0 तेल प्रति माह उपलब्ध कराने की योजना भी बनायी गयी। ए0पी0एल0 परिवारों को भी अधिक मात्रा में किरासन तेल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया है। इस राज्य के लिए ५३,९५३ मे0 टन के मासिक आवंटन में ३४ प्रतिशत वृद्धि के लिए मेरे स्तर से माननीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। साथ ही माननीय मंत्री, खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग एवं आयुक्त एवं सचिव, खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग को माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार के समक्ष वस्तुस्थिति को रखते हुए आवंटन में वृद्धि के लिए अनुरोध करने हेतु भेजा गया था। भारत सरकार से यह उम्मीद थी कि राज्य के आम उपभोक्ताओं की रोशनी एवं इंधन हेतु किरासन तेल पर निर्भरता को घ्यान में रखते हुए इस राज्य के लिए किरासन तेल के आवंटन में वृद्धि की जायेगी लेकिन भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवंटन में वृद्धि नहीं की जा रही है।

किरासन तेल के कोटे में भारत सरकार द्वारा वृद्धि नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा कि राज्य के आवंटित मात्रा का ही इस प्रकार वितरण किया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0ए0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को समान रूप से चार ली0 किरासन तेल की आपूर्त्ति की जा सके ।सरकार ने निर्णय लिया है कि बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को समान रूप से प्रति माह 4 लीटर किरासन तेल की आपूर्त्ति की जायेगी।

बी0पी0एल0 सूची में संशोधन का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया। संशोधित बी0पी0एल0 सूची में जिन अतिरिक्त परिवारों का नाम शामिल किया जायेगा उन्हें कूपन उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिन परिवारों का नाम सूची से हटाया जायेगा उनके कूपनों को रद्द किया जायेगा। बी0पी0एल0 सूची में संशोधन के उपरांत ए0पी0एल0 परिवारों को भी किरासन कूपन उपलब्ध कराया जायेगा ।

शहरी क्षेत्र में तत्काल किरासन कूपन योजना लागू नहीं की गयी है। शहरी क्षेत्रों में पूर्व की भांति जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति अनुमानित मात्रा की गणना कर किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती है और यह व्यवस्था तत्काल लागू रहेगी।

बी0पी0एल0 अंत्योदय परिवारों को वितरित कूपन के आधार पर ही किरासन तेल की आपूर्त्ति की जायेगी।

मैं अपनी ओर से भारत सरकार से किरासन तेल के आवंटन में वृद्धि हेतु अभी भी प्रयासरत हूँ और मैं इसके लिए आप तमाम माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ ताकि यहां के लिए किरासन तेल का आवंटन बढ़े और अधिक मात्रा में हम लोगों को किरासन तेल दे सकें।

महोदय,मैंने यह वक्तव्य जो पिछली बार हमने चर्चा में भाग लेते हुए एक विस्तृत जानकारी दी थी और जितना सब कुछ और जानकारी प्राप्त कर के व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कई स्तर पर बातचीत की, जिसका उल्लेख किया गया, उसके आधार पर एक ठोस व्यवस्था और टाईम बाउंड, एक समयब कालबद्ध व्यवस्था की गयी है, इसमें अब मेरा व्यक्तिगत आग्रह और अपील है तमाम माननीय सदस्येां से कि इस सिडियूल के मुताबिक जो काम होगा, कृपया आप उसमें, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हर स्तर पर नजर रखें , इस बार इतनी कारगर व्यवस्था होगी कि इसमें शिकायतकर्त्ता अब प्रखंड मुख्यालय में प्रतिदिन साढ़े नौ से छः बजे अपनी शिकायत दे देगा। उसका नाम छूटा है या किसी गलत आदमी का नाम जूटा है, इसके बारे में वह वहां कह सकेगा और वहां पर यह शिकायत, ऐसा न हो कि हम ब्लौक में शिकायत करने गये और मेरा कोई शिकायत लिया नहीं, इसलिए उसके लिए जो व्यवस्था की जा रही है, उसकी पूर्ण विडियोग्राफी करायी जायेगी । साढ़े नौ बजे से छः बजे तक कम्प्लीट बिडियोग्राफी होती रहेगी ताकि कोई आदमी शिकायत करने पहुंचा उसका शिकायत लिया या नहीं लिया यह पता चल सके । इतना ही नहीं, वह शिकायत का नंम्बर देगा और उसके बाद उनको प्राप्ति रसीद देगा और तब उसके लिए जो जांच की व्यवस्था की गयी है इसका मैंने उल्लेख कर दिया है, उसमें जनप्रतिनिधि हर स्तर के उसमें शामिल हैं ,सरकारी कर्मी भी शामिल हैं, ग्राम सभा उसके बाद होगी और ग्राम सभा से जो सुधार की जायेगी उसके बाद उसी सूची को अंतिम रूप प्रकाशित कर के उसके माध्यम से इस योजना में जो छुटे हुए लोग हैं उनको लाभ दिया जायेगा । इसमें मैं सब का सहयोग चाहता हूँ। हम सब का उद्‌देश्य है कि त्रुटिरहित बी0पी0एल0 सूची बने।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सूचना देने की इच्छा व्यक्त की थी, इस बिन्दु पर अब कोई सवाल करना हो तो आगे...

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय,जो भी निर्णय लिया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में आज आग लगा हुआ हैं, हर जगह टेंशन बना हुआ है। ग्राम पंचायत में मुखिया को पीटा जा रहा है,ब्लौक के बी0डी0ओ0 को पीटा जा रहा है, सारे जगह यही स्थिति है तो हम माननीय

<u>टर्न-१४/सत्येन्द्र/२६-३-०७</u>

मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि जो भी अभी आपने कूपन का वितरण किया है उसको जबतक सुधार का सूची तैयार नहीं हो जाता तबतक इसको रोकिये, नहीं तो सब जगह यह झंझट बढ़ जायेगा, यही मेरा आग्रह है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय,जो प्रोसेस एडौप्ट किया गया है वह काफी कम्प्लीकेटेड है।ग्राम पंचायत का जो अधिकार है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए । हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के जरिये सूची तैयार करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री रामदेव वर्मा: अध्यक्ष महोदय,यह बात सही है कि समस्या की गम्भीरता देर ही सही सरकार ने ली, शुरू में ही हमलोगों ने कहा था कि आप बी0पी0एल0 की सूची को रद्द कीजिये लेकिन सरकार ने अपनी चेतनशीलता प्रदर्शित की इसके लिए धन्यवाद लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ आपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन-पत्र आमंत्रित किया है, तमाम वो गरीब मुसहर, जो गांव में १५ कि.मी. पर रहता है, सारे के सारे को आप दौरायेंगे प्रखंड में इसलिए आपसे मेरा आरजू है अपील है कि ाप पंचायत में ही आवेदन आमंत्रित करें ओर सके बाद आप उसे बी0डी0ओ0 के यहां मंगवा लें, तब जांच करवावें वो ठीक है। मुझे एक मात्र यही कहना है कि आवेदन का मौका पंचायत सचिव के यहां दें जिससे कि समय पर सारे लोग आवेदन दे सके ऐसा आप काम कराईये तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,आप आप लोगों की कोई रूचि इसमें हो तो फिर से जब हम कार्यमंत्रणा समिति में बैठेंगे, तो उस पर इसकी चर्चा कर लेंगे ।

श्री शकील अहमद खां: कार्यमंत्रणा में यही होगा?

अध्यक्ष: ये अलग से कर लेंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह(मंत्री) अध्यक्ष महोदय,इसे कार्यमंत्रणा समिति में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना स्पष्ट वक्तव्य मुख्यमंत्री का है कि उसके बाद इसका समाधान हो जायेगा। एक सलाह दिया है वर्मा जी ने, उस पर विचार किया जायेगा।

टर्न-१५/२६-३-२००७/बिपिन

(व्यवधान)

अध्यक्षः शांति । राम प्रवेश जी, आप क्या बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम प्रवेश रायः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस दिन उनका भाषण हुआ था, उसी दिन हमलोग समझ गए थे कि इसकी गम्भीरता को हमारे नेता, सदन के नेता ने लिया है, और बी०पी०एल०सूची में गड़बड़ी को स्वीकारते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसमें जो त्रुटि है, उसके निराकरण का उपाय करेंगे । मैं पूरे सदन की तरफ से, अपने दल की तरफ से इनका स्वागत करूंगा , लेकिन एक आग्रह, एक आग्रह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं करना चाहूंगा - यह तेल का कोटा, यह बी०पी०एल० का कोटा को निर्धारित करते हुए, जो अनाज का कोटा केन्द्र से हमें कम मिल रहा है ....व्यवधान ।

अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो वक्तव्य दिया है, इसकी प्रति अगर एक बार आप गौर से, इसको अगर खुद एक बार और देख लेंगे, तो शायद आपकी तमाम शंकाओं का निराकरण हो जाएगा । किसी चीज को आप अगर नारों में क्वायन करते हैं तो समस्या होती है । मैंने यहां पर, आप बर्हिगमन कर गए थे, मैंने एक-एक डिटेल बताया । एक तो बुनियादी बात जानना चाहिए कि यह पारिवारिक सर्वेक्षण सूची है और २००२ में, पूर्वे जी, जब आपकी सरकार थी, आपने तैयार करवाया था, हमने तो इलेबोरेट ऐरेंजमेंट करके २००६ में उसमें सुधार की कोशिश की, और उसके बाद भी.. व्यवधान ...

श्री नीतीश कुमारः सुन लीजिए । ... व्यवधान ... माफ कीजिए ... अब उसके बाद भी कई प्रकार की शिकायतें आईं और मैंने भी इस बात को महसूस किया तो उसके बारे मे खुद भी खोजबीन करना, जानकारी प्राप्त करना, यह सब कुछ किया है । अब इसके पूरे प्रकरण के बारे में हमलोगों ने ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया है कि इसके माध्यम से एक तो जो सुधार हुआ और उसके बाद जो पारिवारिक सर्वेक्षण सूची टाइप हुआ, आपलोगों के जमाने का पारिवारिक सर्वेक्षण सूची अंग्रेजी में था, उसको फिर हिन्दी में करना और उसमें फिर कई प्रकार के मिसिंग थे, उसमें बहुत सारी चीजें, और, उसका जब इतना ज्यादा किया गया, अभी आप पंचायत की बात कर रहे हैं यह हमने पढ़ कर बता दिया था, एक -एक काम पंचायत के स्तर पर करने का निर्देश था और बहुत कुछ किया गया । इसके बाद भी जो अशुद्धियां रहीं और तब उन अशुद्धियों के निराकरण के लिए अब यह व्यवस्था की जा रही है । समझ लीजिए कि दो तरह की व्यवस्था हो रही है - १. कंप्युटर एरर जितना है उसको सुधार कर दिया जाएगा, और २- जितनी शिकायतें अब तक मिली हैं और जो प्राप्त होंगी उसको जांच कर लिया जाएगा और उस जांचोपरांत सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और उस अंतिम रूप में जो सूची आएगी उसमें जो छूटे हुए लोग हैं, उनको कूपन का वितरण होगा । यही तो है । बेसिक सूची, पारिवारिक सर्वेक्षण सूची तो २००२ की है .. व्यवधान .. वह पारिवारिक सर्वेक्षण सूची तो २००२ की है । उसको हम

कौन होते हैं रद्द करने वाले । वह तो आपकी बनाई हुई है, और, बी०पी०एल० का सुधार, अगर नारों की बात छोड़ दें लोग, हम कह रहे हैं कि इसके अलावे जो स्टेप्स हमने गिनाए हैं, इसके अलावे और क्या रास्ता हो सकता है इसमें सुधार का ? आप अगर बतायें तो मैं आपका स्वागत करूंगा । .. व्यवधान..

अध्यक्षः मननीय सदस्यगण...

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा जी, माननीय सदस्य श्री किशोर कुमार जी... व्यवधान...

श्री किशोर कुमारः पंचायत सेवक और मुखिया ही इसका जड़ है .. व्यवधान ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । बैठिये । माननीय सदस्यगण, जो माननीय मुख्यमंत्री ने... रामदेव वर्मा जी, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पढ़ा है....

श्री रामदेव वर्मा : महोदय, आप जो ब्लॉक स्तर पर रख रहे हैं, गरीब लोग गाँव से १५-१५ कि०मी० चलकर अपना आवेदन और शिकायत दर्ज नहीं करा पायेंगे, उनकी कठिनाई काफी बढ़ जायेगी । इसलिये आप शिकायत दर्ज कराने का अवसर पंचायत स्तर पर ही दीजिये ।

अध्यक्ष : जो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया है.... । पूर्वे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बयान दिया है, जितना विस्तारित है, इसकी एक-एक कौपी सभी माननीय सदस्यों को औौर्डर पेपर में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : पंचायत में अगर शिकायत मिलेगी, पंचायत में भी हो, यह सुझाव ठीक है । यह तो पारदिर्शता के लिये......(व्यवधान) इसको आप एक बार जब पढ़ लेंगे, आपका स्वयं सेटिसफेक्शन होगा और...(व्यवधान) अरे ! एक मिनट सुन तो लीजिये । उन्होंने जो कहा, रामदेव वर्मा जी ने कहा है, शायद आपका भी समाधान हो । आपने जो कहा कि पंचायतों में भी शिकायत प्राप्त हो, तो कोई एतराज की बात नहीं है । प्रखंड की व्यवस्था तो इसलिये करायी गई कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली न कर सके, फिर गरीब आदमी का कोई शिकायत लेने से उसको वंचित न कर दे, इसलिये व्यवस्था की गई । पंचायत में भी अगर कोई कम्प्लेन मिलेगा तो आपका यह सुझाव है, हमलोग उसके लिये भी कुछ वर्कआऊट कर देंगे कि वह मुखिया उसके विहाफ पर जाकर या और लोग भी उसके विहाफ पर जाकर दे सकते हैं । इसके बारे में हमलोग व्यवस्था कर लेंगे । उद्देश्य है कि.... (व्यवधान) ग्राम सभा के बिना तो होगा नहीं, ग्राम सभा तो होगी ही और आप अगर पिछला जो हुआ है एक्सरसाईज, उसको अगर सुन लेंगे तो समूचा ग्राम सभाओं के माध्यम से हुआ है लेकिन फिर भी लोगों ने समय पर ध्यान नहीं दिया, लेट में जगे आप सब लोग, उसके चलते कठिनाई आई है । उसमें कोई कठिनाई नहीं है । मकसद यही है कि जितने शिकायतकर्त्ता हैं, उन्हें फोरम मिलना चाहिये अपनी शिकायत करने का । वह फोरम उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है ।

(व्यवधान)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामचन्द्र सहनी, राज्य मंत्री : महोदय, मैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम १९७४ की धारा-३९ (२) के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के वर्ष २००४-०५ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर बी०पी०एल० पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया ।)